न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 07 / 2020

1 सन्तरा पुत्री घनश्याम जाति महाजन निवासी चनाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 गोरीशंकर पुत्र स्व. तुलाराम
2 औंकारमल पुत्र स्व. तुलाराम
3 कुन्ज बिहारी पुत्र स्व. तुलाराम
4 महेश कुमार पुत्र स्व. तुलाराम
5 मनोजकुमार पुत्र स्व. तुलाराम
6 गंगादेवी पत्नी स्व. घनश्यामदास
7 रामरतन पुत्र स्व. घनश्यामदास
8 शुभकरण पुत्र स्व. घनश्यामदास
9 सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. घनश्यामदास
10 कान्ता पुत्री स्व. घनश्यामदास
11 रामकला रामुका पिता स्व. घनश्यामदास
12 शशि पिता घनश्यामदास
13 चौथमल पिता स्व. हरचन्दराम
14 बलबीरप्रसाद पुत्र स्व. हरचन्दराम
15 नारायणप्रसाद पुत्र स्व. हरचन्दराम
16 मालीराम पुत्र हरचन्दराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

17 कर्ण मितल पुत्र श्री कुन्जबिहारी समस्त जाति महाजन निवासीगण चनाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
18 उप पंजीयक अधिकारी चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
19 तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
20 नन्दकिशोर पुत्र स्व. तुलाराम जाति महाजन निवासी चनाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्तकारी
अधिनिमय 1955 अपील बखिलाफ निर्णय
दिनांक 14.06.2017 बअदालत उपखण्ड
अधिकारी चिड़ावा मुकदमा उनवानी नन्दकिशोर
बनाम गौरीशंकर मु.नं. 87/2017 प्रार्थना पत्र
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 7.10.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 87/2017 में पारित निर्णय दिनांक 14.06.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 212 का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी किया गया है। इससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। उभयपक्ष को धारा 5 के आवेदन पर सुना गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचाराधीन निर्णय दिनांक 14.06.2017 की आवेदिका को पहले जानकारी नहीं थी। पटवारी हल्का के बताने पर दिनांक 30.01.2020 को विचाराधीन निर्णय की नकल प्राप्त की विचाराधीन निर्णय की बरोज जानकारी 30.01.2020 से अपील अपीलान्ट 2 माह के अन्दर पेश है फिर भी किसी कारणवश माननीय न्यायालय अपील अन्दर मियाद नहीं माने उस सुरत में आवेदिका को दफा 5 परिसीमा अधिनियम का फायदा दिया जाकर अपील अन्दर मियाद समाहत की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 8 शुभकरण दिनांक 23.10.2018 को हाजिर हो चुका है। उक्त रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट का सगा भाई है। अपीलान्ट को आदेश जैर बहस की शुरू से जानकारी रही है। अपीलान्ट ने देरी को माफ करने के संतोषजनक कारण दर्ज नहीं किये है। तथाकथित सूचना अपीलान्ट पटवारी हल्का द्वारा कब व कहा दी गई दर्ज नहीं है। अपीलान्ट पटवारी हल्का के पास क्यों गई यह स्पष्टीकरण नहीं है। पटवारी हल्का कोन था यह दर्ज नहीं है। पटवारी हल्का का कोई शपथ पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील मियाद बाहर है। प्रकरण में विचारण न्यायालय ने दिनांक 14.06.2017 को एकपक्षीय अन्तरीम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया था। उक्त आदेश के विरूद्ध विचारण न्यायालय के यहां अपील होने पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

दिनांक 30.01.2020 को उक्त अपील में विचारण न्यायालय के आदेश की क्रियान्विति को स्थगित किया गया। विचारण न्यायालय के आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट कुंजबिहारी द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के यहां निगरानी/टीए/706/2020/झुन्झुनू उनवान कुंजबिहारी बनाम संतरा प्रस्तुत की गई। जिसमें राजस्व मण्डल ने विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 31.01.2020 को निरस्त कर यह निर्देश प्रदान किये कि अदालत हाजा में लंबित अपील में मियाद के बिन्दु को तय करने के पश्चात अग्रीम कार्यवाही करें। अपीलान्ट ने मियाद के बिन्दु को स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं किया है और आदेश पारित होने के करीब ढाई वर्ष वाद अपील प्रस्तुत की है जो खारिज होने योग्य है। अपीलान्ट विचारण न्यायालय के समक्ष क्लीन हैंड से नहीं आए है। अतः अपील इसी स्तर पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचाराधीन अपील अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। पक्षकारों के मध्य धारा 212 का आवेदन विचारण न्यायालय में लंबित है। जिसका अंतिम निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना शेष है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अपीलांट द्वारा अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज योग्य पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 7.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर